

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-19/2013-156 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 18-10-2013

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना / जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक, नवादा / सिपाया/मुशहरी/ पीपराकोठी/ परसा/ओड़हारा/खुशकीबाग/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पटना सदर/दानापुर/मसौढ़ी/बाढ़/ नालन्दा (बिहारशरीफ)/हिलसा/भोजपुर/बक्सर/सासाराम/भभुआ (कैमूर)/शेरघाटी (गया)/गया सदर/जहानाबाद/अरवल/ नवादा/ औरंगाबाद/ सारण/मढ़ौरा (सारण)/सीवान/गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर (पूर्वी)/मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)/मोतिहारी सदर/सिकरहाना (पूर्वी चम्पारण)/पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/बगहा/सीतामढ़ी (पूर्वी)/सीतामढ़ी (पश्चिमी)/वैशाली/दरभंगा सदर/बेनीपुर (दरभंगा)/बेनीपटी (मधुबनी)/मधुबनी सदर/झंझारपुर (मधुबनी)/समस्तीपुर/रोसड़ा/बेगूसराय /मुंगेर/जमुई/लखीसराय/भागलपुर/नवगछिया(भागलपुर)/बाँका/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/वीरपुर/ पूर्णिया /किशनगंज/ अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय:

राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में रबी 2013-14 तथा गरमा 2014 में बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए कुल 501.875 लाख रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए घटक योजना के अंतर्गत 80.30 लाख रु० (अस्सी लाख तीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹80,30,000 (अस्सी लाख तीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4963 दिनांक-04.10.2013 द्वारा राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में रबी 2013-14 तथा गरमा 2014 में बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए कुल 501.875 लाख रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए घटक योजना के अंतर्गत 80.30 लाख रु० (अस्सी लाख तीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹80,30,000 (अस्सी लाख तीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹80,30,000 (अस्सी लाख तीस हजार रुपये) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मॉंग संख्या-1-उपशीर्ष-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5015, विषयशीर्ष-27 01-लघु कार्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 240.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० दिनांक-31.07.2013 के आलोक में आवंटित है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजत्र,

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

156 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

(156/17/10/13)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक

156 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 18-10-2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0 बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रांकृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप कृषि निदेशक, (प्रक्षेत्र)/उप कृषि निदेशक, (बीज) बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना)/ आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(156/17/10/13)

(156/17/10/13)

सरकार के संयुक्त सचिव

